



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1367

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42312 वर्ष 2025**

रितेश राजभर

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अच्युत जी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, प्रदीप कुमार, राम विलास

**न्यायालय संख्या - 68**

**माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव**

सूची पुनरीक्षित की गई।

आवेदक के अधिवक्ता उपस्थित हैं, हालांकि, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हैं।

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।**

**सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

यह जमानत याचिका आरोपी-आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 06/2025 में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 137(2), 87, 352, 351(3) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5L/6 के तहत जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए पुलिस स्टेशन खेजुरी, जिला बलिया में दायर की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने प्रस्तुति दी कि एफआईआर 6 दिन की देरी से दर्ज की गई है, जिसके संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक ने शिकायतकर्ता की बेटी को बहला-फुसलाकर नहीं ले गया है। आवेदक ने न तो पीड़िता की इज्जत को ठेस पहुंचाई है और न ही उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि पीड़िता की उम्र लगभग 16 वर्ष है और कथित घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि बीएनएसएस की धारा 181 और धारा 183 के तहत दर्ज गवाह के बयान में भिन्नता है, जो अभियोजन पक्ष की कहानी का खंडन करती है। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह आवेदक से प्यार करती थी और उसकी इच्छा से उससे शादी की थी। वह निवेदन करता है कि वर्तमान मामले में, आवेदक के विरुद्ध दिनांक 15.09.2025 को आरोपपत्र दाखिल किया गया है और संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2025 को संज्ञान भी लिया गया है। वह निवेदन करता है कि आवेदक को किसी प्रकार की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सा रिपोर्ट में पीड़ित के शरीर पर न तो कोई बाहरी और न ही कोई आंतरिक चोट पाई गई है। आवेदक

*अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।*

*सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



21.08.2025 से जेल में बंद है। वह निवेदन करता है कि आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वह निवेदन करता है कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत के लिए निवेदन किया गया है। माननीय एजीए ने जमानत की अर्जी का पुरजोर विरोध किया, लेकिन वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए उपरोक्त तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपरोक्त मामले में आरोपी-आवेदक **रितेश राजभर** को, निविदा मुकदमा अपराध संख्या के संबंध में, व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतों को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के मुचलके प्रस्तुत करने पर, जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।

**अस्वीकरण:-** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक ट्रायल न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

6 जनवरी, 2026

पीकेएस

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।